न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः– 01/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00002

उनवान

पप्पू पुत्र रामभरोसी जाति जाटव निवासी जिरौली फाटक के पास धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. विजलाल पुत्र गिरवर जाति जाटव निवासी ध्वजपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कंचनपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार।

.....रेस्पोडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 09.12.2017 मु0 नं0 25/16 उनवानी विजलाल बनाम पप्पू वगै0

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिनेश श्रीवास्तव उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–06.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0 संख्या 01/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम मुरावली तहसील बाडी के रैस्पो0 संख्या 01/वादी व अपीलाण्ट/प्रतिवादी वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं तथा अपने–अपने हिस्से के मुताबिक संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। परन्तु

प्रतिवादी/अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से काश्त करने में परेशान करता है व समय पर फसल में लगने वाली लागत को अदा नहीं करता है। जिससे रैस्पो0 संख्या 01/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी में हमेशा झगडा बना रहता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बॅटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किये जाने व अपीलाण्ट/प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 10.07.2017 को प्राथमिक डिक्री करते हुए, तहसीलदार बाडी से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये एवं मुताबिक कुर्रे प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रकरण के तथ्यों के सर्वथा विपरीत है तथा काबिल खारिजी है। कुर्रे तैयार करते समय मौके पर अपीलाण्ट को नहीं बुलाया गया तथा ना ही कोई सूचना दी गई। कुर्रे प्रस्ताव अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में रैस्पो0 की मनमर्जी से पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये हैं, जिनके बाबत् अपीलाण्ट द्वारा सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय में ऐतराज भी प्रस्तुत किये गये परन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उन ऐजरात को निराधार मानते हुए मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का बॅटवारा धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि कुर्रेजात में ना तो मनवट का ध्यान रखा एवं ना ही अलग-अलग लगान ही कायम की गई है एवं ना ही विभाजित नम्बरान का नजरी नक्शा ही बनाया गया है इस प्रकार नियम 18 से 21 की पालना कतई नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, अधीनस्थ न्यायालय को पुनः दोनों पक्षो की उपस्थिति में कुर्रे तैयार कराये जाकर नियमानुसार बॅटवारा किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के मनवट के आधार पर ही बनाये गये हैं एवं उक्त कुर्रेजात प्रस्तावों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भी विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि कुर्रे प्रस्ताव उनकी अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं एवं कुर्रे प्रस्तावो को तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) 1955 नियम 18 लगायत 21 की पालना नहीं की गई है। अतः कुर्रे प्रस्ताव विधिवत नही है। हमने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रेजात प्रस्ताव में उप विभाजित भूमि का नजरी नक्शा एवं लगान कायम नहीं की गयी है। इसके अलावा प्रथम दृष्टया कुर्रे प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं, जिन पर तहसीलदार धौलपुर के मात्र प्रतिहस्ताक्षर हो रहे हैं। नियमानुसार विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना की जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। आर0आर0डी0 2017(1) पेज 689 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन हेतु प्रस्तावो का तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण व जोतों के विभाजन हेतु प्रपोजल तैयार करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित आराजी में, अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी, का पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए एवं प्रत्येक हिस्से पर लगान कायम कर, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2017 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं पक्षकारों की उपस्थिति में कुर्रे प्रस्ताव तैयार कर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.09.2018 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर